भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 257

04 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: रबी फसलों की खेती

257. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री बिद्‌युत बरन महतोः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत मौसम की तुलना में वर्तमान ऋतु के दौरान रबी फसलों की खेती के तहत कुल अनुमानित प्रति एकड़ उत्पादन का ऋतु, फसल और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चालू मौसम के लिए रबी फसलों के उत्पादन का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी फसल और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रबी और खरीफ अनाज की बुआई के लिए किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन/सहायता प्रदान करने और उचित मूल्य पर उनकी उपज की खरीद करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्‌वारा देश में फसलों के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्‌वारा देश में कृषि उत्पादों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): चूंकि देशके कुछ भागों में बुआई का कार्य अभी भी प्रगति पर है, अत: मौजूदा रबी मौसम के लिए रबी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादनका मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी। फसल उत्पादन के अग्रिम अनुमानोंकेलिए जारी कैलेंडर के अनुसार, रबी फसलों के उत्पादन और क्षेत्रफल सामान्यत: मध्य फरवरी में जारी किए जाते हैं।

(ग) से (ड़): किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, सरकार नेवर्ष 2018-19 मौसम के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य व्यवसायिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में वृद्धि की हैं। सरकार ने हाल ही में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा प्रदान करने के सिद्धांत के तर्ज पर वर्ष 2019-20 मौसम के लिए सभी अधिदेशित खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए एमएसपी, लागत और लागत पर मुनाफे का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, देश में कृषि फसलों का उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न फसल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रान्ति लाना (बीजीआरईआई),राष्ट्रीयसतत् कृषि मिशन (एनएमएसए), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड इत्यादि को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहन,एकीकृत पोषण प्रबंधन (आईएनएम) के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य का सुधार,एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), फार्म मशीनीकरण आदि सहित राज्य विशिष्ट कृषि रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्यों को जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए कृषि अवसंरचनाके सृजन हेतु भीसहायता प्रदान की जाती है।

सरकार देश में कृषि उत्पादों के आयात पर करीब से निगरानी रखती है तथा समय-समय पर अपेक्षित उपाय करती हैताकि सस्तेआयात को प्रतिबंधित किया जा सके तथा जब कभी भी आवश्यक हो,न्यूनतम आयात मूल्य, आयात शुल्कों में वृद्धि, आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध तथा लाइसेंसिग के द्वारा आयातों पर प्रतिबंध लगाकर देश के संकटग्रस्त किसानों की रक्षा करती है।

अनुबंध

दिनांक 04.02.2020 को देय लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 257 के भाग (ग) से (ड़) के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए एमएसपी, लागत और लागत पर मुनाफे का ब्यौरा

(रू. प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	2018-19			2019-20		
	खरीफ फसलें	**लागत***	**एमएसपी**	**लागत पर % मुनाफा**	**लागत***	**एमएसपी**	**लागत पर % मुनाफा**
1	धान (सामान्य)	1166	1750	50.1	1208	1815	50.2
	(ग्रेडए)^		1770			1835	
2	ज्वार (हाईब्रिड)	1619	2430	50.1	1698	2550	50.2
	(मालदंडी) ^		2450			2570	
3	बाजरा	990	1950	97	1083	2000	84.7
4	मक्का	1131	1700	50.3	1171	1760	50.3
5	रागी	1931	2897	50	2100	3150	50
6	अरहर(तूर)	3432	5675	65.4	3636	5800	59.5
7	मूंग	4650	6975	50	4699	7050	50
8	उड़द	3438	5600	62.9	3477	5700	63.9
9	कपास (मध्यम रेशें)	3433	5150	50	3501	5255	50.1
	(लंबे रेशें)^		5450			5550	
10	मूंगफली छिलका सहित	3260	4890	50	3394	5090	50
11	सूरजमुखी बीज	3592	5388	50	3767	5650	50
12	सोयाबीन (पीला)	2266	3399	50	2473	3710	50
13	तिल	4166	6249	50	4322	6485	50
14	रामतिल	3918	5877	50	3960	5940	50
	रबी फसलें						
1	गेहूं	866	1840	112.5	923	1925	108.6
2	जौ	860	1440	67.4	919	1525	65.9
3	चना	2637	4620	75.2	2801	4875	74
4	मसूर (लेन्टिल)	2532	4475	76.7	2727	4800	76
5	रेपसीड/सरसों	2212	4200	89.9	2323	4425	90.5
6	कुसुम्भ	3294	4945	50.1	3470	5215	50.3

* इसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल हैं जैसे मानव श्रम किराया, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टा भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल/बिजली, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।

^ धान (ग्रेड ए), ज्वार (मालदंडी)तथाकपास (लंबा रेशा) के लिए लागत आंकड़ें पृथक रूप से संकलित नहीं किए जाते हैं।

*****